

न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 15 / 2024-25

अनुसूची -14 फॉर्म सं0- 563

आदेश की कं०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
23/2/25	आवेदक सुखदेव उराँव, पिता छोटु उराँव, जाति उराँव, ग्राम दमकारा थाना पालकोट, जिला- गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। <u>भूमि का विवरणी</u> <table border="1"><thead><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन किस्म</th></tr></thead><tbody><tr><td>दमकारा</td><td>46</td><td>102</td><td>1218</td><td>0.88 एकड़ में से 0.23 एकड़</td><td></td></tr></tbody></table> कुल 0.23 (तेईस डिसमील) <u>प्लॉट सं० 1218 का चौहदी :-</u> उत्तर में - कृष्णा राम, दक्षिण में - सुकरा चीक बड़ाईक का घर, पुरब में - बहुरन उराँव का टांड, पश्चिम में - पक्की रोड़ <u>जमीन विक्रेता का विवरणी</u> सुखदेव उराँव, पिता छोटु उराँव, जाति उराँव, ग्राम दमकारा, थाना - पालकोट, जिला-गुमला <u>जमीन क्रेता का विवरणी</u> अमृत सोरेंग पिता स्व० बेनेदिक सोरेंग जाति खड़िया, ग्राम कुलुकेरा फुटकल टोली, थाना - पालकोट, जिला-गुमला।	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म	दमकारा	46	102	1218	0.88 एकड़ में से 0.23 एकड़		
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन किस्म									
दमकारा	46	102	1218	0.88 एकड़ में से 0.23 एकड़										

3

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित केता अमृत सोरेंग पिता स्व० बेनेदिक सोरेंग जाति खड़िया, ग्राम कुलुकेरा फुटकल टोली, थाना - पालकोट, जिला- गुमला से राशि 2,40,000 (दो लाख चालीस हजार)रूपये पर बिक्री करने का तय हुआ है। आवेदक को मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु रूपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचलाधिकारी, पालकोट को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, पालकोट के कार्यालय के पत्रांक 77(ii)/रा० दिनांक 13/02/2025 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूम बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत उराँव एवं खड़िया जाति के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, पालकोट के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक सुखदेव उराँव, पिता छोटु उराँव, जाति उराँव, ग्राम दमकारा, थाना पालकोट, जिला-गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि 2,40,000 (दो लाख चालीस हजार) रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित



02.25
भूमि सुधार उप-समाहर्ता
बसिया (गुमला)